

## गवालियर

गवालियर संस्करण की नई विज्ञापन दरें			
वर्गीकृत विज्ञापन (ब्लैक एण्ड व्हाइट) 3 DAYS	15 DAYS	1 MONTH	
50 शब्द, प्रत्येक अतिरिक्त शब्द 5 रुपये, शीर्षक शुल्क 100 प्रतिशत अतिरिक्त	100/-	500/-	1000/-
हिस्सेले व्लासिफाइड विज्ञापन (ब्लैक एण्ड व्हाइट) 1 DAYS	7 DAYS	1 MONTH	
	500/-	1800/-	3000/-
फगड़ी रस्म, पुण्यतिथि फोटो सहित	Size 8x1	Rs. 500/-	
गुमशुदा, जन्मदिन, ब्याई	Size 8x1	Rs. 1000/-	
वैवाहिक	Size 6x1	Rs. 500/-	
नाम परिवर्तन, लीज पॉलिसी परिवर्तन, खोया-पाया	Display Classified Rate		
वैवाहिक विज्ञापन कम से कम 40 शब्द (केवल मध्यप्रदेश) 5 रुपये अतिरिक्त शब्द	Rs. 500/-		
<b>Contact:-</b>			
Nava Bharat Bhavan, City Center, Gwalior			
Ph. 0751-4086200, 9479319990			
E-mail address-bharatnava@gmail.com			
पाठकमाण किसी भी वर्गीकृत विज्ञापन पर पहल करने से पहले पूरी जानकारी एकत्र कर संपर्क करें. इस संबंध में नवभारत समाचार-पत्र की जिम्मेदारी नहीं होगी.			

## नामांकन विज्ञापन/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम गवालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्रं 05, बाई क्रं 16, स्थान मकान नं 113 न्यू कॉलोनी नं 01 ग्वा0 मे स्थित है जो कि रामअवतार पारिक/लादुराम पारिक के नाम से नगर निगम में आई डी क्र 10000072771 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 662.50 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रिजिस्टर्ड विक्रेता पत्र क्रं 3613 से प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के अधिनियमों को पूर्ण संपत्तिक एव अन्वय उपकर को वसूली हेतु नामांकन आवेदन जन्मित्र समाधान केन्द्र 05, ब्लाक 05, पर दिनांक 17.09.2025 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्र 77/2011/46740/46677 प्र. क्र. 3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम गवालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिक विभाग कक्ष क्रं. 205, 202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मध्य सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। निम्न अन्वय पश्चात कोई अपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञापित जारी दिनांक 18.09.2025

आवेदक-विनोद मिश्रा, शिवनारायण मिश्रा /दुर्गा मिश्रा पता-मकान नं 113 न्यू कॉलोनी ग्वा0, मो0-9826937355

## NAME CHANGE

I, KAILASH RAMESH AHUJA S/O SHRI. RAMESH AHUJA. Here by Declare That I have changed my name as KAILASH AHUJA so, from now and in future I will be known by my new name- KAILASH AHUJA. PRESENT 911, AJAYPUR PAHAD, TEHSIL GWALIOR, (M.P.) 474001

## CHANGE OF NAME &amp; DOB

I, Army Service No. 15794764N Rank- L/HAV Name- GOHIL VISHALSINH VARSUBHA Residing at Village- Ambla, Post- Ambla, Tehsil- Sihor, District- Bhavnagar, State- Gujarat, Pin- 364210 have changed my Mother's Name from VARSUBHA to GOHIL VARSUBHA & Date of Birth from 01/07/1957 to 01/01/1961 due to mismatch in my Army Service Record.

Vide Affidavit No. BX 771098 Dated 17/09/2025 before High Court, Gwalior (M.P.).

## CHANGE OF NAME &amp; DOB

I, Army Service No. 15794764N Rank- L/HAV Name- GOHIL VISHALSINH VARSUBHA Residing at Village- Ambla, Post- Ambla, Tehsil- Sihor, District- Bhavnagar, State- Gujarat, Pin- 364210 have changed my Mother's Name from GYANBA to GOHIL GINANBA & Date of Birth from 01/07/1961 to 01/01/1961 due to mismatch in my Army Service Record.

Vide Affidavit No. BX 771100 Dated 17/09/2025 before High Court, Gwalior (M.P.).



## फोनिकस एआरसी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: वीएस मॉडल, चालेस टावर 139-140/बी/1, सहर रोड और चेन्नई एक्सप्रेस हाईवे क्रॉसिंग, विले पार्क (बॉय) मुंबई - 400 057. दूरभाष: 022- 6849 2450, फैक्स: 022- 6741 2313 सीआईएन: U67190MH2007PTC168303 ईमेल: info@phoenixarc.co.in, वेबसाइट: www.phoenixarc.co.in

## ई-नीलामी सह विक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आसियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण तथा प्रतिभूति हित अर्थात् अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अन्वय संपत्तियों को विक्री हेतु ई-नीलामी विक्री सूचना, प्रतिभूति हित (पब्लिक) निगम, 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के साथ। इसके द्वारा आयु जनता और विशेष रूप से उपकारिता/आर्टिस्ट/बैंकधारकों को सूचित किया जाता है कि मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले एम्बारा होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड - समुदायिक के रूप में जाना जाता था) द्वारा त्रय के समुदायिक के अनुसार पंजीकृत एआरसी प्राइवेट लिमिटेड को गिरवी रखी गई निम्नलिखित संपत्ति, बकाया राशि और आय के व्यय, शुल्क और लागत आदि को वसूली के लिए "जैसे ही है, जैसी है" और बिना किसी सहार के" के आधार पर "ऑनलाइन ई-नीलामी" के माध्यम से बेची जाएगी, जैसा कि प्रतिभूति हित (पब्लिक) निगम के नियम 8 और 9 के साथ सफेदी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नये विस्तार से बताया गया है। 2002) को वेबसाइट: www.phoenixarc.co.in के माध्यम से नीचे दिए गए विकरण के अनुसार खरीदा जा सकता है।

## ई-नीलामी की तिथि और समय: 27-10-2025 / सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

सं.	उपकरण/सह-उपकरण/अन्य खाली	मांग सूचना की तिथि और राशि	अन्वय संपत्ति का विवरण	आरंभित मूल्य, अंतिम राशि और अंतिम राशि जमा करने की अंतिम तिथि
1	लैन: LXGW400116-170030972 शाखा: गवालियर सह-उपकरण: मोहन सिंह गुर्जर सह-उपकरण: यशु बाई	14-08-2018 रु. 4,70,558/- (चार लाख सत्तर हजार चार अशुद्ध पचास)	बाई क्रमांक-38, वन विहार कॉलोनी, ग्राम शिवापुर, संरक्षण का नम्बर-136, 136/787, 138, 139, 140, 140/788, 141, 142, शिवापुर-473660, म.प्र., भारत	आरंभित मूल्य: रु. 4,00,000/- (चार लाख मात्र), अंतिम जमा: रु. 40,000/- (चासी हजार मात्र), अंतिम जमा की अंतिम तिथि: 26-10-2025
2	लैन: LXGW400315-160018241 शाखा: गवालियर, उपकरण: हरिमोहन नारायण राजीवराय, सह-उपकरण: प्रीति हरि मोहन राजीवराय, गार्डर: 1 मुकेश कुमार सुभार साहू	22-11-2018 रु. 12,56,153/- (बारह लाख छपन हजार एक सौ तिरपन मात्र)	सं. क्रमांक 4/2 शिखक कॉलोनी डबरा गवालियर-474006 मध्य प्रदेश का भाग	आरंभित मूल्य: रु.10,00,000/- (दस लाख मात्र) अंतिम जमा: रु.1,00,000/- (एक लाख मात्र) अंतिम जमा की अंतिम तिथि: 26-10-2025
3	लैन: LXGW400166-170046797 शाखा: गवालियर उपकरण: दीपक झा सह-उपकरण: अमित प्रकाश झा	15-11-2019 रु. 8,90,422/- (आठ लाख नब्बे हजार चार सौ तिरपन मात्र)	क्रमांक 1003/7/मि 1 का भाग ग्राम शंकरपुर, तहसील एवं जिला गवालियर, मध्य प्रदेश - 474001	आरंभित मूल्य: रु.10,00,000/- (दस लाख मात्र) अंतिम जमा: रु.1,00,000/- (एक लाख मात्र) अंतिम जमा की अंतिम तिथि: 26-10-2025
4	लैन: LXGW400415-160012145 शाखा: गवालियर उपकरण: संजय रामबाबू प्रजापति सह-उपकरण: विनोद रामबाबू प्रजापति	25-05-2021 रु. 11,29,923/- (ग्यारह लाख उन्नीस हजार नौ सौ तिरपन मात्र)	मुनिंसिपल हाउस नंबर 6/2203, बाई नंबर - 6 (पुराना) और 07 (नया), सागर ताल रोड, जगमोहन कटरा, पिन, गवालियर, म.प्र. - 474001	आरंभित मूल्य: रु.14,00,000/- (चौदह लाख मात्र), अंतिम जमा: रु.1,40,000/- (एक लाख अठ्ठस हजार मात्र), अंतिम जमा की अंतिम तिथि: 26-10-2025

ई-नीलामी के नियम और शर्तें: 1. नीलामी बोली दर्तावेज के अंगे के नियमों और शर्तों और उसमें निश्चित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाती है। बोलीदाता बोली संबंधी जानकारी और शर्तें, ई-नीलामी के लिए रजिस्ट्रार के संपत्ति संपत्ति का विवरण और ऑनलाइन जमा किए जाने वाले बोली पत्रों के लिए हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता, मेसर्स मेसर्स आर्का मैन प्रोवाइडर लिमिटेड वेब पोर्टल: <https://www.auctionbaazaar.com> पर जा सकते हैं। इच्छुक खरीदार सीट पोर्टल पर नीलामी के नियम और शर्तों और प्रक्रिया देख सकते हैं और तदनुसृत 93229414448 और विजय सिंह 9372505110, शैलेश अग्रवाल 9833801159 से संपर्क कर सकते हैं, विवरण उच्च वेब पोर्टल पर उपलब्ध है। और उनके केंद्रीकृत हेल्प डेस्क: +91 83709 69696, ई-मेल आईडी: [contact@auctionbaazaar.com](mailto:contact@auctionbaazaar.com) पर संपर्क कर सकते हैं। 2. सभी इच्छुक क्रेताओं/बोलीदाताओं को उपरोक्त संपत्ति का विवरण, पैन कार्ड की प्रतियाँ, कंपनी के मामले में चॉर्ड के प्रस्तावों और पत्र के प्रमाण के साथ सुरक्षित ईमेल/यूआरएल जमा करने की अंतिम तिथि तथा व उससे पहले जमा करना होगा। इच्छुक क्रेताओं/बोलीदाताओं को उपर बतौर प्रत्येक वस्तु/संपत्ति के लिए अलग-अलग ईमेल/यूआरएल जमा करने होंगे। 3. नीलामी की शर्तों में, प्राक्कृत अधिकारी बोलीदाता को उपरोक्त अनुभव और बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी/प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार/संशोधित/रद्द कर सकता है या नीलामी स्थगित कर सकता है। नीलामी बोलीदाता को लागू कानून के अनुसार सुरक्षित संपत्ति को अपने पास में हस्तांतरित/सुरक्षित करवाने के लिए देय सभी वैधानिक बकाया, कर, देय शुल्क, क्रय मूल्य पर लागू जीएसटी, स्टैट्यु शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि का भुगतान करना होगा। 4. इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले, नगर, नीलामी में रखी गई सुरक्षित संपत्ति के स्वामित्व और सुरक्षित संपत्तियों को प्रभावी करने वाले दायों/अधिकारों/बकायों, जिन्हें वे वास्तविक बकाया आदि शामिल हैं, के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। नीलामी विवरण संपत्ति की किसी भी प्रतिवचन या प्रतिनिधित्व का ग्यन नहीं करता है और न ही क्रेता या फोनिसस का अधिकृत अधिकारी किसी भी तीसरे पक्ष के प्रतिवचन/बकायों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। 7. संपत्तिक प्रत्येक बोलीदाता को यह बचन देना होगा कि वह दिवालिया होकर शोधन अधिनियम, 2016 की धारा 29 (ए) के प्रावधानों के अनुसार अयोग्य नहीं है और केवाईसी दर्तावेजों के साथ पैसे वचन देने में विफल रहने पर उसे स्वतः ही अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा या उसकी बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

स्थान: मध्य प्रदेश  
दिनांक: 19.09.2025

## महिला ने पुलिस कप्तान के समक्ष लगाई गुहार

## नवभारत न्यूज

गवालियर 18 सितम्बर. हमें तांत्रिक से बचा लो साहब, जिसने घर हड़पने के लिए मेरी बहन को वश में कर रखा है। जो आज दिन हमारे यहां पर तंत्र क्रियाएं किया करता है, जिससे पूरा परिवार काफी दहशत में है। यह गुहार जौरी का महिला द्वारा पुलिस कप्तान से लगाई गई है। जहां से उसे जांच उपरांत नियमानुसार कार्रवाई करवाने का आश्वासन दिया गया है।

आशुपुरना (निवासी) रेखा कुशवाहा ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत की है, कि गवालियर के थाटीपुर क्षेत्र में रहने वाले तांत्रिक बाबूजी शर्मा की नजर उसके घर पर है, जो अपनी तंत्र कलाओं से उसके घर को बर्बाद कर देना चाहता है। महिला का आरोप है कि उसकी बहन को शादी मेरे देवर के साथ ही हुई है। बाबूजी ने तंत्र मंत्र से उसको वश में



रेखा कुशवाहा

कर लिया है। अब वह भी उसकी बातों में आकर उसकी तांत्रिक क्रियाओं में साथ देने लगी है, यह लोग अक्सर हमारे घर में झाड़ फूंक, टोने, कभी नौबू काटने जैसे कर्म किया करते हैं, जिससे पूरा परिवार काफी दहशत में है। पति व देवर से भी करता है अर्धता - मारपीट - महिला ने आरोप लगाया है कि बाबूजी हमारी पूरी संपत्ति हड़पना चाहता है। जिसके लिए वह आज दिन उसे और उसके पति से गाली गलौज करता है। यही नहीं मेरी बहन (देवराणी) के साथ मिलकर देवर को भी पांच दिन तक बंधक बनाकर मारपीट की है। महिला का आरोप है कि बाबूजी जमीन की खरीद-फरोख्त का काम करता

है। जो जमीन हड़पने के लिए अक्सर तंत्र-मंत्र करता है, कभी भूभूति फेंकता है, तो कभी नौबू काटकर रखता है।

थाने से डराकर थाने से भगाने का आरोप- रेखा ने बताया कि उसकी देवराणी भी अब तांत्रिक के वश में होकर तंत्र मंत्र में उसका साथ देने लगी है। यहां तक कि वो कहने लगी है कि मारपीट कर देवर को ड्रम में भर देगी। यही नहीं वह मुझे भी धमकी देती है कि अगर वो पीछे नहीं हटी, तो पूरे घर को बर्बाद कर देगी। महिला ने आरोप लगाया है कि वह अपनी शिकायत लेकर स्थानीय महाराजपुरा थाने गईं, तो वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसकी बात सुनकर उसे डराकर वापस भेज दिया, कि तुम्हारी देवराणी तुम्हारे ही खिलाफ तंत्र-मंत्र कर देगी। थाने में सुनवाई नहीं होने के कारण है वह एसपी ऑफिस आई है।

## नाम परिवर्तन सूचना

मंजूरी चावला (JUHI CHAWLA) यह शपथ करती हूँ कि शादी के पश्चात् मेरा नाम परिवर्तित होकर जूही अमनप्रीत सिंह बग्गा पत्नी अमनप्रीत सिंह बग्गा (JUHI AMANPREET SINGH BAGGA) हो गया है। मेरी जन्मतिथि 26.07.1988 है। अतः मेरे सभी सरकारी पहचान पत्र जैसे कि आधारकार्ड, बैंककार्ड एवं ड्राइविंग लाइसेंस पर मेरा नवीन नाम जूही अमनप्रीत सिंह बग्गा (JUHI AMANPREET SINGH BAGGA) दर्ज हो चुका है। अब मुझे मेरे नवीन नाम जूही अमनप्रीत सिंह बग्गा (JUHI AMANPREET SINGH BAGGA) के नाम से ही जाना पहचाना जाता है। मेरा नवीन नाम जूही अमनप्रीत सिंह बग्गा (JUHI AMANPREET SINGH BAGGA) मेरे नवीन पासपोर्ट में दर्ज कर मान्य किया जाये। अतः सूचित हूँ। दिनांक-18.09.2025

जूही अमनप्रीत सिंह बग्गा पत्नी अमनप्रीत सिंह बग्गा (JUHI AMANPREET SINGH BAGGA) पता: फ्लैट क्रमांक 708, मिलिनियम प्लाजा, गोविन्दपुरी, गिर्द, गवालियर 474011

## यातायात पुलिस ने 810 वाहनों पर की कार्यवाही

## नवभारत न्यूज

गवालियर 18 सितम्बर. पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती विदिता डगार व उप पुलिस अधीक्षक यातायात अजीत सिंह चौहान के नेतृत्व में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर रोक लगाने के लिए

15 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसमें जिला गवालियर पुलिस द्वारा टीम द्वारा शहर के अंदर कई स्थानों पर चैकिंग लागाकर चैकिंग की कार्यवाही की गई इस अभियान के तहत जारी चैकिंग के



यातायात नियमों को तोड़ने वाले कई वाहनों के मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं में चालान बनाये गए जिसमें- तेज गति से वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध 13 चालान बनाया कर समन शुल्क राशि 13,000 रुपये, बिना हेलेमेट के वाहन चलाने वाले वाहनों के 620 बनाकर समन राशि 1,86,000 रुपये, बिना सीटबेल्ट के

## खराब सड़कों को लेकर कांग्रेस की पदयात्रा 20

गवालियर 18 सितम्बर. भाजपा सरकार द्वारा गवालियर महानगर को स्मार्ट सिटी बनाए जाने के नाम पर सड़कों पर करोड़ों रु खर्च करने के बाद भी आज तक गवालियर की तीनों विधानसभाओं की सड़कों की स्थिति बंद से बदतर होती जा रही है, पता ही नहीं चलता सड़कों में गड्ढे हैं, कि गड्ढों में सड़के हैं, इन खराब सड़कों पर चलकर आए दिन राहगीर दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। जिसे लेकर रहबर जिला कांग्रेस कमिटी द्वारा गवालियर की तीनों विधानसभाओं में पदयात्रा निकाली जाएगी। शहर जिला कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष सुरेन्द्र यादव कांग्रेस के पदयात्रा कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि 20 सितंबर को सर्वप्रथम 17 गवालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के बेटी बचाओ चौराहा से इमली नाका तक प्रातः 10.30 बजे पदयात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस की पदयात्रा में विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस, जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, मंडलम कांग्रेस, सेक्टर कांग्रेस, कांग्रेस विभाग प्रकोष्ठ, मोर्चा

## कार्यालय कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट, जिला गवालियर (म.प्र.)

आवेदक: सितेश रोड, गवालियर पिन-474006  
क्रमांक: एडमो/वि.वि.अ./ दिवा/118/2024  
गवालियर, दिनांक- 02/09/2025

## विज्ञापित

आवेदकगण श्री जयदीप सिंह पुर वर, श्री बसन्ती सिंह निवासी ग्राम शिवापुर तहसील वरौली जिला गवालियर म.प्र एवं गान्धीय डिस्ट्री पुत्री उत्तरीय डिस्ट्री निवासी श्री मधुशंकर के पास लाकर बना रोज जिला गवालियर म.प्र. की ओर से अपने साथ दिनांक 3/12/2024 को सोलोगान की उत्तरस्थिति में विशेष विवाह अधिनियम 1954 अंतर्गत हुए अधिनियम की धारा 11 के तहत घोषणा करते हुए आर्शादि विवाह हेतु धारा 5 के अंतर्गत सूचना देकर तीन कलेक्टर मंत्र के भीतर, अधिनियम के अधीन अनुमोदित होना आर्शादि दर्शाया गया है। अधिनियम के अंतर्गत अर्शादि में वर एवं वधु द्वारा धारा अधिनियम की गई है कि आदेशक आर्शादि दिनांक को अधिविवाह है। वर द्वारा 21 वर्ष उम्र वधु द्वारा 23 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है। उन्की आपस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। वधु भी घोषणा की गयी है कि दोनो अधिनियम की धारा 11 के तहत घोषणा करते हुए अधिनियम के अधीन अनुमोदित होना आर्शादि दर्शाया गया है। अधिनियम के अंतर्गत अर्शादि में वर एवं वधु द्वारा धारा अधिनियम की गई है कि आदेशक आर्शादि दिनांक को अधिविवाह है। वर द्वारा 21 वर्ष उम्र वधु द्वारा 23 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है। उन्की आपस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। वधु भी घोषणा की गयी है कि दोनो अधिनियम की धारा 11 के तहत घोषणा करते हुए अधिनियम के अधीन अनुमोदित होना आर्शादि दर्शाया गया है। अधिनियम के अंतर्गत अर्शादि में वर एवं वधु द्वारा धारा अधिनियम की गई है कि आदेशक आर्शादि दिनांक को अधिविवाह है। वर द्वारा 21 वर्ष उम्र वधु द्वारा 23 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है। उन्की आपस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। वधु भी घोषणा की गयी है कि दोनो अधिनियम की धारा 11 के तहत घोषणा करते हुए अधिनियम के अधीन अनुमोदित होना आर्शादि दर्शाया गया है। अधिनियम के अंतर्गत अर्शादि में वर एवं वधु द्वारा धारा अधिनियम की गई है कि आदेशक आर्शादि दिनांक को अधिविवाह है। वर द्वारा 21 वर्ष उम्र वधु द्वारा 23 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है। उन्की आपस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। वधु भी घोषणा की गयी है कि दोनो अधिनियम की धारा 11 के तहत घोषणा करते हुए अधिनियम के अधीन अनुमोदित होना आर्शादि दर्शाया गया है। अधिनियम के अंतर्गत अर्शादि में वर एवं वधु द्वारा धारा अधिनियम की गई है कि आदेशक आर्शादि दिनांक को अधिविवाह है। वर द्वारा 21 वर्ष उम्र वधु द्वारा 23 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है। उन्की आपस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। वधु भी घोषणा की गयी है कि दोनो अधिनियम की धारा 11 के तहत घोषणा करते हुए अधिनियम के अधीन अनुमोदित होना आर्शादि दर्शाया गया है। अधिनियम के अंतर्गत अर्शादि में वर एवं वधु द्वारा धारा अधिनियम की गई है कि आदेशक आर्शादि दिनांक को अधिविवाह है। वर द्वारा 21 वर्ष उम्र वधु द्वारा 23 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है। उन्की आपस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। वधु भी घोषणा की गयी है कि दोनो अधिनियम की धारा 11 के तहत घोषणा करते हुए अधिनियम के अधीन अनुमोदित होना आर्शादि दर्शाया गया है। अधिनियम के अंतर्गत अर्शादि में वर एवं वधु द्वारा धारा अधिनियम की गई है कि आदेशक आर्शादि दिनांक को अधिविवाह है। वर द्वारा 21 वर्ष उम्र वधु द्वारा 23 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है। उन्की आपस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। वधु भी घोषणा की गयी है कि दोनो अधिनियम की धारा 11 के तहत घोषणा करते हुए अधिनियम के अधीन अनुमोदित होना आर्शादि दर्शाया गया है। अधिनियम के अंतर्गत अर्शादि में वर एवं वधु द्वारा धारा अधिनियम की गई है कि आदेशक आर्शादि दिनांक को अधिविवाह है। वर द्वारा 21 वर्ष उम्र वधु द्वारा 23 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है। उन्की आपस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। वधु भी घोषणा की गयी है कि दोनो अधिनियम की धारा 11 के तहत घोषणा करते हुए अधिनियम के अधीन अनुमोदित होना आर्शादि दर्शाया गया है। अधिनियम के अंतर्गत अर्शादि में वर एवं वधु द्वारा धारा अधिनियम की गई है कि आदेशक आर्शादि दिनांक को अधिविवाह है। वर द्वारा 21 वर्ष उम्र वधु द्वारा 23 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है। उन्की आपस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। वधु भी घोषणा की गयी है कि दोनो अधिनियम की धारा 11 के तहत घोषणा करते हुए अधिनियम के अधीन अनुमोदित होना आर्शादि दर्शाया गया है। अधिनियम के अंतर्गत अर्शादि में वर एवं वधु द्वारा धारा अधिनियम की गई है कि आदेशक आर्शादि दिनांक को अधिविवाह है। वर द्वारा 21 वर्ष उम्र वधु द्वारा 23 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है। उन्की आपस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। वधु भी घोषणा की गयी है कि दोनो अधिनियम की धारा 11 के तहत घोषणा करते हुए अधिनियम के अधीन अनुमोदित होना आर्शादि दर्शाया गया है। अधिनियम के अंतर्गत अर्शादि में वर एवं वधु द्वारा धारा अधिनियम की गई है कि आदेशक आर्शादि दिनांक को अधिविवाह है। वर द्वारा 21 वर्ष उम्र वधु द्वारा 23 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है। उन्की आपस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। वधु भी घोषणा की गयी है कि दोनो अधिनियम की धारा 11 के तहत घोषणा करते हुए अधिनियम के अधीन अनुमोदित होना आर्शादि दर्शाया गया है। अधिनियम के अंतर्गत अर्शादि में वर एवं वधु द्वारा धारा अधिनियम की गई है कि आदेशक आर्शादि दिनांक को अधिविवाह है। वर द्वारा 21 वर्ष उम्र वधु द्वारा 23 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है। उन्की आपस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। वधु भी घोषणा की गयी है कि दोनो अधिनियम की धारा 11 के तहत घोषणा करते हुए अधिनियम के अधीन अनुमोदित होना आर्शादि दर्शाया गया है। अधिनियम के अंतर्गत अर्शादि में वर एवं वधु द्वारा धारा अधिनियम की गई है कि आदेशक आर्शादि दिनांक को अधिविवाह है। वर द्वारा 21 वर्ष उम्र वधु द्वारा 23 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है। उन्की आपस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। वधु भी घोषणा की गयी है कि दोनो अधिनियम की धारा 11 के तहत घोषणा करते हुए अधिनियम के अधीन अनुमोदित होना आर्शादि दर्शाया गया है। अधिनियम के अंतर्गत अर्शादि में वर एवं वधु द्वारा धारा अधिनियम की गई है कि आदेशक आर्शादि दिनांक को अधिविवाह है। वर द्वारा 21 वर्ष उम्र वधु द्वारा 23 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है। उन्की आपस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। वधु भी घोषणा की गयी है कि दोनो अधिनियम की धारा 11 के तहत घोषणा करते हुए अधिनियम के अधीन अनुमोदित होना आर्शादि दर्शाया गया है। अधिनियम के अंतर्गत अर्शादि में वर एवं वधु द्वारा धारा अधिनियम की गई है कि आदेशक आर्शादि दिनांक को अधिविवाह है। वर द्वारा 21 वर्ष उम्र वधु द्वारा 23 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है। उन्की आपस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। वधु भी घोषणा की गयी है कि दोनो अधिनियम की धारा 11 के तहत घोषणा करते हुए अधिनियम के अधीन अनुमोदित होना आर्शादि दर्शाया गया है। अधिनियम के अंतर्गत अर्शादि में वर एवं वधु द्वारा धारा अधिनियम की गई है कि आदेशक आर्शादि दिनांक को अधिविवाह है। वर द्वारा 21 वर्ष उम्र वधु द्वारा 23 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है। उन्की आपस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। वधु भी घोषणा की गयी है कि दोनो अधिनियम की धारा 11 के तहत घोषणा करते हुए अधिनियम के अधीन अनुमोदित होना आर्शादि दर्शाया गया है। अधिनियम के अंतर्गत अर्शादि में वर एवं वधु द्वारा धारा अधिनियम की गई है कि आदेशक आर्शादि दिनांक को अधिविवाह है। वर द्वारा 21 वर्ष उम्र वधु द्वारा 23 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है। उन्की आपस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। वधु भी घोषणा की गयी है कि दोनो अधिनियम की धारा 11 के तहत घोषणा करते हुए अधिनियम के अधीन अनुमोदित होना आर्शादि दर्शाया गया है। अधिनियम के अंतर्गत अर्शादि में वर एवं वधु द्वारा धारा अधिनियम की गई है कि आदेशक आर्शादि दिनांक को अधिविवाह है। वर द्वारा 21 वर्ष उम्र वधु द्वारा 23 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है। उन्की आपस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। वधु भी घोषणा की गयी है कि दोनो अधिनियम की धारा 11 के तहत घोषणा करते हुए अधिनियम के अधीन अनुमोदित होना आर्शादि दर्शाया गया है। अधिनियम के अंतर्गत अर्शादि में वर एवं वधु द्वारा धारा अधिनियम की गई है कि आदेशक आर्शादि दिनांक को अधिविवाह है। वर द्वारा 21 वर्ष उम्र वधु द्वारा 23 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है। उन्की आपस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। वधु भी घोषणा की गयी है कि दोनो अधिनियम की धारा 11 के तहत घोषणा करते हुए अधिनियम के अधीन अनुमोदित होना आर्शादि दर्शाया गया है। अधिनियम के अंतर्गत अर्शादि में वर एवं वधु द्वारा धारा अधिनियम की गई है कि आदेशक आर्शादि दिनांक को अधिविवाह है। वर द्वारा 21 वर्ष उम्र वधु द्वारा 23 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है। उन्की आपस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। वधु भी घोषणा की गयी है कि दोनो अधिनियम की धारा 11 के तहत घोषणा करते हुए अधिनियम के अधीन अनुमोदित होना आर्शादि दर्शाया गया है। अधिनियम के अंतर्गत अर्शादि में वर एवं वधु द्वारा धारा अधिनियम की गई है कि आदेशक आर्शादि दिनांक को अधिविवाह है। वर द्वारा 21 वर्ष उम्र वधु द्वारा 23 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है। उन्की आपस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। वधु भी घोषणा की गयी है कि दोनो अधिनियम की धारा 11 के तहत घोषणा करते हुए अधिनियम के अधीन अनुमोदित होना आर्शादि दर्शाया गया है। अधिनियम के अंतर्गत अर्शादि में वर एवं वधु द्वारा धारा अधिनियम की गई है कि आदेशक आर्शादि दिनांक को अधिविवाह है। वर द्वारा 21 वर्ष उम्र वधु द्वारा 23 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है। उन्की आपस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। वधु भी घोषणा की गयी है कि दोनो अधिनियम की धारा 11 के तहत घोषणा करते हुए अधिनियम के अधीन अनुमोदित होना आर्शादि दर्शाया गया है। अधिनियम के अंतर्गत अर्शादि में वर एवं वधु द्वारा धारा अधिनियम की गई है कि आदेशक आर्शादि दिनांक को अधिविवाह है। वर द्वारा 21 वर्ष उम्र वधु द्वारा 23 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है। उन्की आपस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। वधु भी घोषणा की गयी है कि दोनो अधिनियम की धारा 11 के तहत घोषणा करते हुए अधिनियम के अधीन अनुमोदित होना आर्शादि दर्शाया गया है। अधिनियम के अंतर्गत अर्शादि में वर एवं वधु द्वारा धारा अधिनियम की गई है कि आदेशक आर्शादि दिनांक को अधिविवाह है। वर द्वारा 21 वर्ष उम्र वधु द्वारा 23 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है। उन्की आपस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। वधु भी घोषणा की गयी है कि दोनो अधिनियम की धारा 11 के तहत घोषणा करते हुए अधिनियम के अधीन अनुमोदित होना आर्शादि दर्शाया गया है। अधिनियम के अंतर्गत अर्शादि में वर एवं वधु द्वारा धारा अधिनियम की गई है कि आदेशक आर्शादि दिनांक को अधिविवाह है। वर द्वारा 21 वर्ष उम्र वधु द्वारा 23 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है। उन्की आपस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। वधु भी घोषणा की गयी है कि दोनो अधिनियम की धारा 11 के तहत घोषणा करते